भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 678

22 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

देश में गेंहू का संकट

678. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 12 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमित दे तो भारत पूरे विश्व का पेट भरने के लिए तैयार है;

(ख) क्या देश में गेंहू की कमी हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो भारत द्वारा 14 मई 2022 को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो कुछ हप्तों के भीतर ही इस नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ड़) गेहूं के निर्यात पर लगाए गए इस प्रतिबंध का भारत के गेहूं उत्पादक किसानों की आय पर पर अनुमानत: क्या प्रभाव पडेगा?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): देश में गेहूं का संकट नहीं है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 106.41 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2016-17 से 2020-21) के दौरान गेहूं के औसत उत्पादन अर्थात 103.89 मिलियन टन से अधिक है। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी एवं कमजोर देशों की जरूरतों में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने गेहूं की निर्यात नीति को 'मुक्त' से 'निषिद्ध' में संशोधित किया। हालांकि, अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर भी निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

(ङ): गेहूं उगाने वाले किसानों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद किसानों को अच्छा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी गेहूं की घरेलू कीमतें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से ऊपर चल रही हैं।

*****